UPAZ010084312022

Presented on : 07-10-2022
Registered on : 07-10-2022
Decided on : 13-10-2022
Duration : 0 years, 0 months, 6 days

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)
कोर्ट नं०–04, आजमगढ़।

Bail Application No./1004270/2022
C.N.R.NO.UPAZ010084312022

आजम उर्फ अजीम पुत्र युनुस, उम्र लग० 32 वर्ष, पेशा मजदूरी, साकिन खालिसपुर, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

– ––––––––––––आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ० प्रदेश सरकार ––––––––––––––––––– विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या–**587/2022**
अंतर्गत धारा–3(1) उ०प्र०गिरोहबंद एवं समाज
विरोधी क्रिया–कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना–**जीयनपुर**, जिला आजमगढ।

दिनांकः–13.10.2022

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त **आजम उर्फ अजीम** की तरफ से **मु०अ०सं०–587/2022,** धारा 3(1) उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया–कलाप (निवारण) अधिनियम–1986, **थाना जीयनपुर,** जनपद आजमगढ़ में जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से **शहनाज बानो** का शपथपत्र प्रस्तुत कर जमानत प्रार्थनापत्र में दिये गये तथ्यों को सही बताया गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 20.09.2022 को प्र०नि० यादवेन्द्र पाण्डेय देखभाल व भ्रमण क्षेत्र तथा थाने के अभिलेखों के अवलोकन व परिशीलन से ज्ञात हुआ कि गैंग लीडर आजम पुत्र युनुस निवासी वर्तमान पता खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ स्थायी पता अतरकच्छा बरडीहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ अपने सह अभियुक्तों/सदस्यों 01. नगमा पत्नी आजम निवासी वर्तमान पता खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ स्थायी पता अतरकच्छा बरडीहा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 02. सरफराज उर्फ गुड्डू पुत्र निशार उर्फ जैजू निवासी कसाई टोल कस्बा व थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 03. मेराज साई पुत्र जलील अहमद निवासी खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 04. पप्पू कुरैशी पुत्र स्व० इकबाल कुरैशी निवासी कुरैश नगर कस्बा व थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ 05 कामरान पुत्र शमशाद निवासी खालिसपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के साथ मिलर एक संगठित गिरोह कायम कर रहा है जो जनपद स्तर पर सक्रिय है। इस गिरोह के कब्जे से दिनांक 04.01.2022 को 01 कुन्तल गोमांस व अन्य उपरकरण बरामद किया गया था। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 06/2022 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र संख्या ए–36–बी/22 दिनांक 24.06.2022 को न्यायालय में प्रेषित किया गया। उक्त गिरोह द्वारा आपराधिक कृत्य आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ पाने के लिए किया गया। गिरोह द्वारा उक्त अपराध करके लोक

व्यवस्था छिन्न–भिन्न/सामान्य जन जीवन अस्त व्यस्त किया गया है। इस गिरोह की सक्रियता जनपद स्तर पर है। इस संगठित गिरोह के आपराधिक कृत्यों से आम जनता में भय व दहशत व्याप्त है जिसके चलते आम जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराने अथवा गवाही देने का साहस नहीं करता है। इन अपराधियों का स्वतंत्र रहना जनहित एंव न्यायहित में नहीं है। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–3(1) उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया–कलाप (निवारण) अधिनियम–1986 में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, रंजिशवश मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बना दिया गया है। उसके विरूद्ध गैंगचार्ट में दर्शाये गये मु०अ०सं० 06/2022 में वह जमानत पर है। अभ्यारोपित अपराध के गैंग चार्ट का अनुमोदन उच्च अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.09.2022 को कराया गया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिनांक 20.09.2022 को वादी मुकदमा को ज्ञान होना कहा गया है इससे यह स्पष्ट होता है कि अभ्यारोपित अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट की अभियोजन कहानी मात्र विद्वेषवश शासन को खुश करने के लिए दर्ज करायी गयी है क्योंकि जब दिनांक 14.09.2022 को इस गैंग व गैंग के सदस्यों के बारे में पता चला तो उसके पूर्व गैंगचार्ट का उच्च अधिकारियों से अनुमोदन कैसे करा लिया गया जो विधि विरूद्ध व न्याय की मंशा के बिल्कुल विपरीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार कि मात्र गोवध के एक मुकदमे के आधार पर मुकदमे की कार्यवाही नहीं की जायेगी। उपरोक्त तथाकथित मुकदमों में प्रार्थी की कोई सहभागिता नहीं थी बल्कि झूठे कथानक के आधार पर प्रार्थी के विरोधियों की साजिश में होकर उक्त मुकदमे का अभ्यारोपण किया गया है। उसने कभी भी समाज विरोधी क्रियाकलाप में सहभागिता नहीं दिखाई है और न ही उसका कोई भय और आतंक समाज व्याप्त है। प्रार्थी को गैंग का लीडर बताया गया है जो गलत है। वह कभी भी भा०दं०सं० के अध्याय 16,17 व 22 में वर्णित अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा और न ही गोवध निवारण अपराध में ही संलिप्त रहेगा। वह दी गयी जमानत का कभी दुरूपयोग नहीं करेगा वह दिनांक 03.10.2022 से जेल में निरूद्ध है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक /अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी।

जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त एक सुसंगठित गैंग का लीडर है। आवेदक/अभियुक्त गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अपने तथा अपनी गैंग के सदस्यों के आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17 व 22 में वर्णित अपराध कारित करता है। आवेदक द्वारा गोवध करने जैसा जघन्य अपराध किया गया है, जो गम्भीर प्रकृति का अपराध है। अतः उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक की बहस सुनने एवं केस डायरी का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि गैंग चार्ट में जो मुकदमें पंजीकृत है उसमें अभियुक्त भी नामित है।

इसी अनुक्रम में यदि हम आवेदक /अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर विचार करें तो धारा 19(4) उ०प्र०गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया–कलाप (निवारण) अधिनियम में प्राविधानित किया गया है कि संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को यदि वह अभिरक्षा में है जमानत पर या उसके अपने बन्ध पत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जायेगा जब तक कि–

(क) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता ।

(ख) जहाँ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहाँ न्यायालय का समाधान न हो जाय कि यह विश्वास करने का युक्ति–युक्त आधार है कि यह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह

कि जमानत पर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नहीं है।

<u>गैंग चार्ट में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध निम्न मुकदमा दर्शाया गया हैः–</u>

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जिला
01.	06/2022	3/5/8 गोवध नि० अधि० व 4/25 आयुध अधिनियम	जीयनपुर	आजमगढ़

गैंग चार्ट में अभियुक्त व उसकी गैंग के विरूद्ध जो मुकदमा दर्ज होना दर्शाया गया है, वह गोवध जैसे जघन्य अपराध व आयुध अधिनियम से संबधित है। इस स्तर पर अभियुक्त की अपराध में सन्लिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र पर विचार करना है। आवदेक/अभियुक्त एक सुसंगठित गैंग का लीडर है। आवेदक/अभियुक्त पर गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु आपराधिक घटनाओं को कारित कर जनता में भय व आतंक व्याप्त करके भा०दं०सं० के अध्याय 16, 17 व 22 में वर्णित अपराध कारित करने का आक्षेप है। गैंग चार्ट में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध 01 मामला मु०अ०सं० 06/2022 दर्शित है जो कि गम्भीर प्रकृति के अपराध से सम्बन्धित है। गैंगचार्ट में दर्शित मामले में आवेदक/अभियुक्त द्वारा हामिद के मकान पर अन्य सहअभियुक्त के साथ चाकू से गोमांस के टुकड़े कर रहे थे। मामले में एक कुन्तल गोमांश कटा हुआ, दो अदद चाकू, लकड़ी का ठीहा, तराजू, बाट बरामद किया गया है। आवेदक/अभियुक्त ही गैंग का लीडर है। अभियुक्त द्वारा प्रथम दृष्टया गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया जाना परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त इस स्तर पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि आवेदक /अभियुक्त जमानत पर छूटने के उपरान्त निकट भविष्य में पुनः आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होगा , बल्कि इसकी प्रबल सम्भावना है। इसका भी कोई निश्चायक आधार नहीं है कि अभियुक्त द्वारा जमानत पर होते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना न हो।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायसंगत नहीं है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **आजम उर्फ अजीम** की तरफ से प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दि0–13.10.2022

(जैनेन्द्र कुमार पाण्डेय)
JO Code U.P.–2398
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, (गैंगेस्टर एक्ट)
कोर्ट नं०–04, आजमगढ़।